

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक M/S Vaishno Enterprises(Regd. No-1210203), At-Veer Kunwar Singh Colloney, N/A-Charitravan, Dist-Buxar, Pin-802101 द्वारा कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निविदा (टेन्डर आई0डी0-141455/ 141470) में भाग लिया गया।

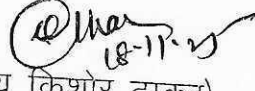
उक्त निविदा में संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल, खूंटी का पत्रांक 256 दिनांक 12.06.2024 द्वारा निर्गत Construction of HL RCC Girder Bridge over Karra River between Saura to ATA in Panchayat Hakajog in Karra Block से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

प्रश्नगत अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित कार्यालय से कराने के उपरांत पाया गया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है।

तदालोक में तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 3694 दिनांक 18.07.2025 द्वारा संवेदक को उक्त निविदा में अयोग्य घोषित करते हुए गै0स0प्रे0सं0 243 अनु0 दिनांक 22.08.2025 द्वारा संवेदक M/S Vaishno Enterprises के विरुद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में आलोक में कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने से पूर्व विभागीय पत्रांक 9428 अनु0 दिनांक 01.09.2025 एवं पत्रांक 10343 दिनांक 25.09.2025 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई। उक्त कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 13.10.2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए आरोप के बिंदु पर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु 10(दस) दिन समय की मांग की गई। पुनः दिनांक 31.10.2025 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि साईबर कैफे द्वारा किसी अन्य संवेदक के बहकावे में आकर उक्त निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया गया है। साथ ही भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए संवेदक M/S Vaishno Enterprises(Regd. No-1210203, PAN-AAFFV0321C) द्वारा कार्य प्रमंडल, विक्रमगंज के अधीन निविदा (टेन्डर आई0डी0-141455/ 141470) में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) अधिसूचना संख्या-8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक को 02(दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

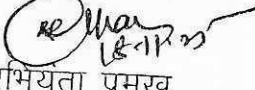

(जय किशोर ठाकुर)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 19.11.25

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-14-269/2025 11717

प्रतिलिपि:- M/S Vaishno Enterprises(Regd. No-1210203), At-Veer Kunwar Singh Colloney, N/A-Charitravan, Dist-Buxar, Pin-802101 को सूचनार्थ प्रेषित।

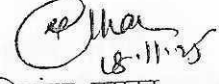

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-269/2025

11717

/पटना, दिनांक:- 19.11.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



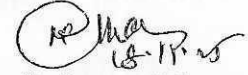
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 19.11.25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-269/2025

11717

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



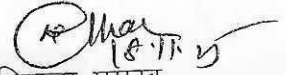
अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 19.11.25

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-14-269/2025

11717

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

६५.